W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रार्थना पत्र / एलआर /6761 / 2011 / जिला सीकर

1— दशरथ सिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत, निवासी रायपुर पाटन तहसील नाम का थाना, जिला सीकर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1— मानकंवर पत्नि भगतूसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुर पाटन, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
2— तहसीलदार, नाम का थाना, जिला सीकर।
3— ग्राम पंचायत रायपुर, पाटन जरिये सरपंच।

.....असल .अप्रार्थीगण

4— गोवर्धन सिंह पुत्र चतरसिंह
5— रधुनाथ सिंह पुत्र चतरसिंह
6— गुलाब सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी रायपुर पाटन, तहसील नीम का थाना जिला सीकर।

..... तरतीबी अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे. पी. माथुर व श्यामबाबू, अभिभाषक प्रार्थीगण।
श्री पूर्णाशंकर दशोरा एवं श्री एस. पी. सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः— 03 / 01 / 2013

1— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1956') की धारा 9 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार नीम का थाना द्वारा प्रकरण सं. 98 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 19—9—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 884 से 897 कुल किता 14 रकबा 5.23 हेक्टयर ग्राम रायपुर पाटन के खातेदार पूर्व में प्रहलादसिंह व गौरूसिंह पुत्रगण देवीसिंह था। खातेदार प्रहलादसिंह का देहान्त होने पर उसके हिस्से

की भूमि चतरसिंह व गुलाबसिंह के नाम दर्ज की गयी तथा गौरूसिंह का देहान्त होने के पश्चात उसकी बेवा गोकुलकंवर (अप्रार्थिया संख्या 1 की माता) के नाम खातेदारी दर्ज हुई। गोकुल कंवर बैवा गौरूसिंह की अप्रार्थिया संख्या 1 मानकंवर ही एकमात्र वारिस है। गोकुलकंवर का देहान्त होने पर वादग्रस्त भूमि को नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 30–12–1972 द्वारा चतरसिंह व गुलाबसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। चतरसिंह के फौत होने पर विवादित आराजी जरिये नामांतरकरण संख्या 1128 दिनांक 21–3–07 से प्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम स्वीकार हुई।

3– नामांतकरण संख्या 175 दिनांक 30–12–1972 के विरूद्ध अप्रार्थिया संख्या 1 मानकंवर ने अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी नीम का थाना के समक्ष प्रस्तुत की। उपखंड अधिकारी नीम का थाना ने अपने निर्णय दिनांक 26–5–2011 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये अप्रार्थिया मानकंवर के नाम वादग्रस्त भूमि का नामंतरकरण दर्ज करने के आदेश दिये। उपखंड अधिकारी के निर्णय दिनांक 26–5–2011 के विरूद्ध न्यायालय, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 11–08–2011 द्वारा उपखंड अधिकारी नीम का थाना के निर्णय दिनांक 26–5–2011 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः नामान्तरकरण तय करें। अतिरिक्त सम्भ्भगीय आयुक्त के उक्त निर्णय दिनांक 11–08–2011 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मण्डल में दिनांक 30–08–2011 को निगरानी प्रस्तुत कर दी गयी थी किन्तु सम्भागीय आयुक्त जयपुर के उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार, नीम का थाना ने अप्रार्थिया संख्या 1 के नाम से नामान्तरकरण भरने के आदेश अपने निर्णय दिनांक 19–09–2011 द्वारा पारित कर दिये। तहसीलदर के उक्त आदेश दिनांक 19–09–2011 से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र मण्डल में इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 19–09–2011 को निरस्त किया जाकर निगरानी प्रस्तुत काने की अर्थात दिनांक 30–08–2011 की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल की जावे।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

के निर्णय दिनांक 11–08–2011 के विरूद्ध मंडल में प्रार्थी द्वारा निगरानी दिनांक 30–08–2011 को प्रस्तुत कर दी गई थी तथा उसमें ग्राह्यता व स्थगन पर बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित रखी गई थी। मण्डल की एकल पीठ ने दिनांक 20–09–2011 को प्रार्थी की निगरानी को श्रवणार्थ ग्रहण करते हुये स्थगन आदेश भी पारित कर दिया, किन्तु इसी दौरान तहसीलदार नीम का थाना ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय की पालना में दिनांक 19–09–2011 को आलोच्य आदेश पारित कर दिया। जबकि तहसीलदार को मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने की जानकारी दे दी गयी थी। जब मंडल में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय की निगरानी विचाराधीन थी तो तहसीलदार ने आलोच्य आदेश दिनांक 19–09–2011 पारित करने में विधिक एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित की है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि अप्रार्थिया ने निगरानी सम्बन्धी तथ्य छिपा कर तहसीलदार से आलोच्य आदेश प्राप्त किया है जो कि निरस्तनीय है। अतः धारा 9 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 में मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आलोच्य आदेश को निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में 2008 (2) WLC (Civil) SC 58, 1993 RRD 598 और 2009 RBJ 320 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

6– प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कहा कि तहसीलदार नीम का थाना ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11–08–2011 की पालना में कार्यवाहीं करते हुये सही रूप से निर्णय पारित किया है। जिस दिन निर्णय पारित किया गया, उस दिन मण्डल से कोई स्थगन नहीं था। तहसीलदार नीम का थाना ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश की पालना में विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जांच करते हुये उभय पक्ष की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय दिनांक 19–09–2011 में किसी प्रकार की विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील ही की जा सकती है, किन्तु प्रार्थी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील न करके सीधे ही मंडल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार के निर्णय को निरस्त करवाने का अनुरोध किया गया है। ऐसा प्रार्थनापत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः मंडल में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन

में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2004 RRD 687 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है।

7— प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार नीम का थाना की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के साथ पारित निर्णय दिनांक 19—09—2011 का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया।

8— अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील का प्रावधान उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 75 में है। प्रार्थी द्वारा उक्त धारा 75 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने के बजाय मण्डल में अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 19—09—2011 को अपास्त करके राजस्व अभिलेख की दिनांक 30—08—2011 की स्थिति को बहाल किया जावे। यह सही है कि धारा 9 अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मण्डल को अधीनस्थ न्यायालयों के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं। इस बिन्दु पर हम विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त— 2008 (2) WLC (Civil) SC 58, 1993 RRD 598 और 2009 RBJ 320 में प्रतिपादित इस मत से सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये अवैधानिक आदेश पारित किया गया है तो मण्डल द्वारा ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करके आदेश को अपास्त किया जा सकता है। किन्तु इस बिन्दु पर हमारा यह मत है कि **उक्त धारा 9 मण्डल की असाधारण शक्तियों का प्रावधान करती है और किसी भी न्यायिक आदेश में धारा 9 के प्रावधानों में प्रदत्त आसाधारण शक्तियों का उपयोग करके केवल उस स्थिति में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिये जब कि ऐसे आदेश के विरुद्ध विधि के सामान्य प्रावधानों में कोई उपचार उपलब्ध नहीं हो।** तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का सामान्य प्रावधान अधिनियम, 1956 में होने के बावजूद यदि धारा 9 के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है तो फिर विधि में प्रदत्त अपील के प्रावधान बेमानी हो जावेंगे। अधिनियम, 1956 की धारा 9 निम्न प्रकार हैः—

> *"9. **General Superintendence of Subordinate Revenue Courts**.- Subject to other provisions of the Act, the general superintendence and control over all revenue Courts and over all revenue officers shall be vested in, and all such Courts and officers shall be subordinate to the Board.*

उक्त धारा 9 के प्रारम्भ में ही प्रयुक्त शब्दवली "Subject to other provisions of the Act" का तात्पर्य ही यह है कि धारा 9 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियां उक्त अधिनियम, 1956 के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन हैं। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 2004 RRD 687 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है किः–

> *"The words 'subject to other provisions of this Act' in section 9 of the Act of 1956 have been used to limit the jurisdiction of the Board and where the alternative remedy by way of appeal, or revision etc. is available the extraordinary jurisdiction of the Board under section 9 of the Act of 1956 cannot be invoked and this is a well settled law." (para 9)*

इसी प्रकार 2010 RRD 36 में यथा उदधृत न्यायिक दृष्टान्त 1993 RRD 446 में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर साधारणतया अपील व निगरानी का प्रावधान है, वहां धारा 9 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

9– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के समानान्तर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 हैं और उक्त धारा 221 के संदर्भ में 1993 RRD 683 में निम्न प्रकार प्रतिपादित किया गया हैः–

> *"This Section confers on the Board, the powers of general superintendence and control over all revenue Courts to ensure justice upto the highest level. It empowers the Board to set aside the orders of subordinate courts where breach of law is committed and the error is apparent on the face of record.* ***Such powers would not be exercised where plaintiff or the defendant or any aggrieved party which had a remedy by way of appeal or revision but failed to avail of it. This power is to be used sparingly where grave injustice committed by the lower Courts is brought to the notice of the Board. It can not be exercised to help a negligent party which has lost its rights or having availed of the right, has failed to secure the desired relief."***

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 221 अधिनियम, 1955 के सदर्भ में मण्डल की असामान्य शक्तियों के उपयोग बाबत 2009 RRT 1094 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

"The power of Board under Section 221 is not akin to the power of the High Court as provided under Article 227 of the Constitution. In the Scheme of 1955 Act there is clear demarcation of the judicial and administrative powers of the Board. While Section 230 provides for the judicial power, Section 221 confers only administrative power and in exercise of administrative power no decree or judicial order could be set aside. The apex Court in Devi Singh Vs Board of Revenue Rajasthan (supra) also indicated that in the face of the provisions under Section 222 to 229 the power of general superintendence under Section 221 could not be exercised."

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित निष्कर्ष है कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियां किसी ऐसे न्यायिक आदेश अथवा डिक्री में परिवर्तन के लिये काम नहीं ली जा सकती हैं, जिसके विरुद्ध विधि में अपील आदि का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। हस्तगत प्रकरण में जिस आदेश दिनांक 19—09—2011 को चुनौती दी गयी है उस आदेश के विरुद्ध अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील का प्रावधान होने से हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 9 विचारणीय नहीं है। प्रार्थनापत्र अपोषणीय होने से खारिज किये जाने योग्य है।

11— परिणामतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य